

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139] दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 14, 2012/श्रावण 23, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 122
No. 139] DELHI, TUESDAY, AUGUST 14, 2012/SHRAVANA 23, 1934 [N.C.T.D.No. 122

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

अधिसूचना

NOTIFICATION

दिल्ली, 14 अगस्त, 2012

Delhi, the 14th August, 2012

फा. सं. 23(10)/2012/विसस-4/विधायी.—दिनांक 14 अगस्त, 2012 को उपराज्यपाल द्वारा जारी निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

F. No. 23(10)/2012/LAS-IV/Leg.—The following order of the Lieutenant Governor, Delhi, dated 14th August, 2012 is hereby published for general information :—

“दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 (सन् 1992 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-1) की धारा 6 की उप-धारा (2) के उप-खंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं, तेजेन्द्र खन्ना, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की चौथी विधान सभा के दसवें सत्र (बजट सत्र) का तत्काल प्रभाव से सत्रावसान करता हूँ।

“In exercise of the power conferred upon me by clause (a) of sub-section (2) of Section 6 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (Central Act No. 1 of 1992), I, Tejendra Khanna, Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby prorogue the Tenth Session (Budget Session) of the Fourth Legislative Assembly with immediate effect.

ह./-

Sd/-

तेजेन्द्र खन्ना,
उपराज्यपाल, दिल्ली”

Tejendra Khanna,
Lieutenant Governor of Delhi”

पी. एन. मिश्रा, सचिव

P. N. MISHRA. Secy.